



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01

नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त फैसल पुत्र अनवर उर्फ जन्त्री मन्त्री निवासी नीम तले वाली मस्जिद मौ० बंजारन थाना मण्डी सहारनपुर को शकको वाली मस्जिद की बराबर वाली गली से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु०अ०सं० 341/24 धारा 4/25 ARMS ACT पंजीकृत किया गया। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं छोटी मोटी चोरी कर लेता हूँ तथा चाकू मैं अपनी सुरक्षा व लोगो को डराने/धमकाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फैसल पुत्र अनवर उर्फ जन्त्री मन्त्री निवासी नीम तले वाली मस्जिद मौहल्ला बंजारन थाना मण्डी सहारनपुर

आपराधिक इतिहास -(फैसल)

1. मु०अ०सं० 360/2018 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 158/15 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 145/16 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. मु०अ०सं० 194/20 धारा 2/3 गिरोहबन्द समाज विरोधी अधि० थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
5. मु०अ०सं० 274/16 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
6. मु०अ०सं० 717/19 धारा 380/411/436/457 भादवि थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
7. मु०अ०सं० 764/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
8. मु०अ०सं० 276/19 धारा 380/411/427/454 भादवि थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
9. मु०अ०सं० 181/2006 धारा 398/401 भादवि थाना कोतवाली नगर सहार
10. मु०अ०सं० 469/2011 धारा 110 जी द०प्र०सं० भादवि थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० मौ० राशिद थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है०का० 451 अमित कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का० 2199 विष्णु कुमार, थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 04.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को 01 नाजायज चाकू सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट प्रयवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **अभियुक्त इनाम पुत्र मुशरत निवासी कस्बा गागलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को ग्राम हरियाबाँस ठेके के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 172/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त इनाम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ चाकू मैं लोगो को डराने/धमकाने व लोगो पर रौब जमाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इनाम पुत्र मुशरत नि0 कस्बा व थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर उम्र करीब- 25 वर्ष

अभियुक्त इनाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 248/20 धारा- 379/411 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 250/20 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 716 राकेश राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को 10 ग्राम अवैध स्मैक सहित

किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त अब्दुल हमीद उर्फ टल्ली पुत्र खलील निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को 10 ग्राम अवैध स्मैक सहित ढमौला नदी से आगे ग्राम मढ के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 371/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ तथा कोई काम धंधा भी नहीं है। इसलिए मैं बाहर स्मैक से सस्ती स्मैक लाकर अपने आस पास के जो लोग नशा करते हैं उनको थोड़े अधिक पैसों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है और मेरे नशे की जरूरत भी पूरी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अब्दुल हमीद उर्फ टल्ली पुत्र खलील निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना कोदेहात जनपद सहारनपुर0

बरामदगी का विवरण:-

10 ग्राम अवैध स्मैक

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 4/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. मु0अ0स0 338/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. मु0अ0स0 466/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. मु0अ0स0 525/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
5. मु0अ0स0 741/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
6. मु0अ0स0 18/18 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
7. मु0अ0स0 212/17 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
8. मु0अ0स0 371/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजय शर्मा को0देहात सहारनपुर
2. है0का0 394 राजकुमार थाना को0 देहात स0पुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को अवैध छुरा सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त अहकाम पुत्र साजिद निवासी लखनौती कला थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को अवैध छुरा सहित से ग्राम ढमौला से बन्द पडे भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 372/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

अभियुक्त अहकाम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ तथा लोगो को डराने/धमकाने व रौब जमाने के लिए अपने पास छुरा रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अहकाम पुत्र साजिद निवासी लखनौती खुर्द थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद छुरा

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 120/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. है0का0 843 विवेक कुमार को0देहात सहारनपुर
2. का0 1551 अमित कुमार थाना को0 देहात स0पुर